पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

धर्मेन्द्र कुमार सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह

बनाम

बिहार राज्य

2017 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1241

23 जून 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

एवं

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धाराओं 20(बी)(ii)(c) सहपठित धारा 29 के अंतर्गत की गई अपीलकर्ता की सजा वैध थी, जबकि तलाशी, जप्ती, नमूना लेने, भंडारण और जब्त मादक पदार्थों के प्रस्तुतिकरण संबंधी अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

हेडनोट्स

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 का पालन नहीं किया गया। छापेमारी स्थल पर कोई नमूना नहीं लिया गया। मलकाना रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है। नशीले पदार्थ को लगभग दो महीने तक मलकाने में रखने के बाद संबंधित जिले के पुलिस उप-निरीक्षक ने जिला जज से नमूना लेने के लिए एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने का अनुरोध किया। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे नमूने नियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए थे, क्योंकि मजिस्ट्रेट की गवाही नहीं कराई गई और न ही यह कहा गया कि नमूना लेने की प्रक्रिया उनके समक्ष हुई। नमूना लेने की प्रक्रिया का कोई फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं है। नमूने प्रयोगशाला में विशेष संदेशवाहक के माध्यम से परीक्षण हेतु भेजे गए, जिसकी गवाही भी मुकदमे में नहीं हुई और वे प्रयोगशाला में 23 दिन बाद प्राप्त हुए। नमूना लेना भी अनुचित विलम्ब से किया गया। यह मान भी लिया जाए कि नमूने चरस से मेल खाते हैं, तो भी अभियोजन पक्ष के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने

में इसका कोई लाभ नहीं होगा। (पैरा 12, 13)जब्ती के दोनों गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और न ही अपीलार्थी की पहचान की। (पैरा 14) अपील स्वीकार की जाती है। (पैरा 21)

न्याय दृष्टान्त

विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य; (2013) 14 एस.सी.सी. 527; जितेन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य; (2004) 10 एस.सी.सी. 562; खेत सिंह बनाम भारत संघ; ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1450; ; नूर आगा बनाम पंजाब राज्य; (2008) 16 एस.सी.सी. 417; भारत संघ बनाम बालमुकुंद व अन्य; (2012) 9 एस.सी.सी. 161

अधिनियमों की सूची

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985

मुख्य शब्दों की सूची

मादक पदार्थ की जब्ती; एन.डी.पी.एस. अधिनियम का पालन; प्रक्रियागत खामियाँ; नमूना एवं भंडारण; प्रयोगशाला में देरी; सामग्री साक्ष्य का अभाव; स्वतंत्र गवाह; स्थायी निर्देश; बरी;

प्रकरण से उत्पन्न

पलनवा थाना कांड संख्या 86/2012, जिला पूर्वी चंपारण

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से : श्री एस.पी. तिवारी, अधिवक्ता; सुश्री सुर्या निलाम्बरी, न्यायमित्र

प्रतिवादी की ओर से : श्री दिलीप कुमार सिन्हा

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.1241

थाना कांड सं.-86 वर्ष-2012 थाना-पलांवा जिला-पूर्वी चंपारण सें उन्नत

==

धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह पिता-हरेंद्र सिंह, निवासी गांव-अमर छतौनी ,थाना - मोतिहारी मुफसिल, जिला-पूर्वी चंपारण।

....अपीलकर्ता/ओ

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री एस. पी. तिवारी, अधिवक्ता
सुश्री सूर्या नीलांबरी, न्यायमित्र

उतरदाता/ओं के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा:माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीखः23-06-2023

1. अपीलकर्ता के लिए विद्वान सलाहकार सुश्री सूर्या नीलाम्बरी और राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सुना ।

2. विद्वान न्यायमित्र, सुश्री सूर्या नीलाम्बरी द्वारा हमारी बहुत मदद की गई।

3. एकमात्र अपीलकर्ता को एन.डी.पी.एस. अधिनियम,1985 की धारा 20(बी)(ii)(सी) सहपठित धारा 29 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 14 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा,

और जुर्माने का भुगतान न करने पर छह महीने अतिरिक्त की कारावास की सजा सुनाई गई है।

4. अपीलकर्ता पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 29 की सहायता से धारा 20(बी)(सी)(ii)/29 और 23 सी के तहत आरोप लगाए गए थे। हालाँकि, मुकदमे में, उसे एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 20(सी) के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। एन.डी.पी.एस.अधिनियम,1985 की धारा 29 के लिए उसे कोई सजा नहीं दी गई है।

5. अ.सा.5/अमितेश कुमार,जो उस समय पूर्वी चंपारण जिले के पलनवा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे, के स्व-बयान पर,पलनवा पुलिस स्टेशन कांड संख्या 86/12 दिनांक 29.07.2012 के तहत एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(बी), 22, 23 और 24 के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।अपने बयान में, अ.सा.5 ने आरोप लगाया है कि दिनांक 29.07.2012 को, उसे गुप्त रूप से सुबह लगभग 9.30 बजे पता चला कि कुछ लोग नेपाल से प्रतिबंधित सामान लेकर आ रहे हैं। यह सूचना स्टेशन डायरी में दर्ज की गई और एक छापामार दल का गठन किया गया और संबंधित स्थान ने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशिश की। पीछे बैठा सवार, जिसके पास नशीले पदार्थों से भरा एक बैग था, उसने बैग फेंक दिया और भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति, अर्थात् अपीलकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया।दो उपलब्ध ग्रामीणों, सगीर मियां (अ.सा.6) और हृदय शर्मा (अ.सा.7) के सामने, अपीलकर्ता के व्यक्ति और सह-अभियुक्त की तलाशी ली गई। राजीव रंजन के नाम से पीछे वाले सवार द्वारा फेंके गए थैले में 500 ग्राम चरस के 49 पैकेट पाए गए, जिसे बाद में किशोर न्याय बोर्ड को उसके अपराध का

निर्धारण करने के लिए भेजा गया था।जब्त मादक पदार्थों का कुल वजन 24.50 किलोग्राम था। मादक पदार्थों के स्पष्ट मूल्यांकन पर, यह चरस पाया गया। अभियुक्त व्यक्तियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। अपीलकर्ता द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल के स्वामित्व से संबंधित कोई भी कागज़ छापेमारी दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने अ.सा. 5 के समक्ष खुलासा किया कि वे पहले भी नेपाल से मादक पदार्थ लाए थे और उसे बाजार में बेचने के लिए दिल्ली ले गए थे। इस बार भी, वे नशीले पदार्थों को बिक्री के लिए दिल्ली ले ले जा रहे थे।

6. जाँच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया।

7. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की जाँच करने और बचाव पक्ष की ओर से किसी भी गवाह की जाँच न करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और पूर्वोक्त सजा सुनाई।

8. श्री एस. पी. तिवारी और सुश्री सूर्या नीलाम्बरी ने प्रस्तुत किया कि इस वाद में अपीलकर्ता के खिलाफ साक्ष्य बिल्कुल कमजोर है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में, यह आग्रह किया गया है कि अधिनियम, 1985 के तहत अनिवार्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 42ए, 50,52,52ए और 55 के साथ पठित धारा 54 का पालन नहीं किया गया है।स्थायी निर्देश संख्या 1/88 और 1/89 का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है और नमूनाकरण आदेश के अनुसार नहीं किया गया है।वास्तव में, छापे के स्थान पर नमूने नहीं लिए गए हैं।जब्त मादक पदार्थ सीधे पुलिस मालखाने में ले जाया गया जहां इसे लगभग दो महीने तक बिना किसी सूची के या *मालखाने* रजिस्टर में कोई प्रविष्टि किए रखा गया था।इसके बाद ही *मालखाने* में नमूना लेने के लिए एक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष एक अनुरोध किया गया था।इसके बाद तैयार

किए गए नमूनों को एक सिपाही/विशेष दूत के माध्यम से पटना में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में भेजा गया, जिसकी परीक्षण में जांच नहीं की गई है।लेकिन नमूने प्रयोगशाला में लगभग 23 दिनों के बाद 26.09.2012 को प्राप्त किए गए।

9. इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि नमूना लेने और उसे एफएसएल, पटना भेजने में किसी भी प्रक्रिया का पालन न किए जाने के कारण, यह नहीं माना जा सकता कि यह उसी स्टॉक का नमूना था जिसे अपीलकर्ता के कब्जे से जब्त किया गया था।

10. अपीलकर्ता का आगे कहना है कि मुकदमे के दौरान भी, सामग्री प्रदर्शनी कभी प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसका गैर-उत्पादन के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों को कभी नष्ट नहीं किया गया क्योंकि उनके निपटान के संबंध में कोई सबूत या प्रमाणीकरण नहीं है। ऐसे में, उन्हें मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था। मुकदमे के दौरान सामग्री का प्रदर्शन न किया जाना निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाता है।

11. उपर्युक्त तर्क के विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने तर्क दी कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हुआ है, क्योंकि सभी पैकेटों से नमूने लिए गए, उन्हें क्रमांकित किया गया, *मालखाने* में रखा गया और प्रयोगशाला में भेजा गया। नमूने एक दंडाधिकारी की उपस्थिति में तैयार किए गए, जिन्हें पुलिस के कहने पर जिला न्यायाधीश ने नियुक्त किया था। केवल इसलिए कि नमूना लेने की प्रक्रिया की तस्वीर नहीं ली गई और नमूना लेने की प्रक्रिया छापे की जगह पर नहीं की गई, इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता कि मामला लड़खड़ा रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 24.5 किलोग्राम चरस इतनी भारी है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अतीत में भी अपीलकर्ता मादक पदार्थ को बाजार में बिक्री के

लिए नेपाल से दिल्ली ले गया था।श्री सिन्हा तर्क देते हैं कि विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि और अपीलकर्ता की सजा के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

12. अभिलेखों और गवाहों के बयानों से, हम पाते हैं कि अ.सा.5 को ऐसी सूचना मिलने पर कि आरोपी व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसने स्टेशन डायरी में एक प्रविष्टि दर्ज की और एक छापा मारने वाली टीम का गठन किया, लेकिन वास्तव में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया। अ.सा.5 ने अपनी गवाही में ऐसी सूचना प्राप्त होने और उसके बाद की छापेमारी के 72 घंटों के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना देने की बात नहीं कही है। ऐसा कोई अभिलेख भी नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि अधिनियम के तहत इस प्रावधान का पालन किया गया था। हमने यह भी पाया कि छापेमारी स्थल पर कोई नमूना नहीं लिया गया था। अ.सा. 5 का यह कथन कि तौलने का उपकरण पड़ोस से खरीदा गया था, वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। यह छापेमारी भारत-नेपाल सीमा के पास एक राजमार्ग पर की गई थी जहाँ कोई आवासीय बस्ती नहीं है।इस प्रकार, अ.सा.5 और उनकी छापा मारने वाली टीम का आकलन कि खेप का वजन 24.5 किलोग्राम था, भी संदिग्ध है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, छापेमारी के स्थान पर कोई नमूना नहीं लिया गया था और अ.सा.5 के अनुसार, साथ ही छापेमारी दल के अन्य सदस्यों, जिनकी परीक्षण में जांच की गई है, के अनुसार खेप को सीधे मालखाना लाया गया था। आश्चर्य की बात है कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत की गई *मालखाना* रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है ।ऐसे मादक पदार्थों के जमा करने के संबंध में मालखाने के किसी भी प्रभारी अधिकारी का कोई साक्ष्य नहीं है। अनिवार्य निर्देश यह है कि नमूने छापे की जगह पर ही एकत्र किए जाने चाहिए, जिन पर दो स्वतंत्र गवाहों की

उपस्थिति में विशेष रूप से क्रमांक, चिह्न और मुहर लगाई जानी चाहिए। यह प्राथमिकी/अभियोजन रिपोर्ट में किसी भी झूठे आरोप या अतिरंजित विवरण से सुरक्षा के लिए है। नमूना लेने की प्रक्रिया की फोटोग्राफी भी आवश्यक है क्योंकि कानून के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को एक प्रमाण पत्र के तहत नष्ट किया जाना चाहिए जो अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मुकदमे के दौरान आवश्यक साक्ष्य के रूप में काम करेगा।

13. इस मामले में, हम पाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था और मादक पदार्थों को लगभग दो महीने तक *मालखाने* में रखने के बाद, अशोक कुमार, अ.सा.4/पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश को नमूने लेने के लिए एक दंडाधिकारी की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया था। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे नमूने नियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए थे क्योंकि की न तो दंडाधिकारी जांच की गई है और न ही ऐसा कोई बयान दिया गया है कि उनके समक्ष ऐसा नमूना लिया गया था। नमूना लेने की प्रक्रिया की कोई फोटोग्राफी नहीं थी।सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नमूनों को एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से 06.09.2012 को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसकी परीक्षण में जांच नहीं की गई है, लेकिन उन्हें 23 दिनों के बाद 26.09.2012 को प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया था।इस बीच नमूने वास्तव में कहाँ रख गए थे, यह ज्ञात नहीं है।इस प्रकार, हम मानते हैं कि नमूने के संबंध में एफएसएल की रिपोर्ट पर निर्भर रहना असुरक्षित था,जो बिना किसी स्पष्टीकरण के 23 दिनों तक पारगमन में रहा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,नमूना लेने में भी अनुचित देरी हुई थी। भंडारण और नमूना लेने की पूरी प्रक्रिया अस्पष्ट बनी हुई है क्योंकि इस आशय का कोई सबूत नहीं है और न ही कोई तस्वीरें

अभिलेख में उपलब्ध हैं। उस स्थिति में,यह मानते हुए कि नमूने चरस से संबंधित थे । अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने में राज्य के लिए कोई लाभ नहीं होगा।

14. जब्ती के दो गवाहों, अ.सा.6 और 7 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और कटघरे में अपीलकर्ता की पहचान भी नहीं की है। यह पूरी स्थिति को और भ्रमित कर देता है।

15. **विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य;2013 14 एससीसी 527** और **जितेंद्र एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2004 10 एससीसी 562** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि न्यायालय के समक्ष सामग्री को प्रस्तुत न करना न केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है, बल्कि यह संपूर्ण मुकदमे को दूषित करने की क्षमता रखता है। यह बिना किसी उद्देश्य के नहीं है कि 1988 और 1989 के स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं। एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है, लेकिन इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया है।यह बिना किसी उद्देश्य के नहीं है कि 1988 और 1989 के स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं।एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है; जिनमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया है।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **खेत सिंह बनाम भारत संघ; एआईआर 2002 एससीसी 1450, नूर आगा बनाम पंजाब राज्य; (2008) 16 एससीसी 417** और **भारत संघ बनाम बालमुकुंद एवं अन्य (2012) 9 एससीसी 161** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि स्थायी निर्देशों का उल्लंघन मामले को संदिग्ध बनाता है और मुकदमे को भी प्रभावित करता है। इन निर्देशों का उद्देश्य अधिकारियों को यह मार्गदर्शन प्रदान करना है कि जाँच के दौरान निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिशानिर्देशों का पर्याप्त रूप से पालन पर्याप्त नहीं है; बल्कि ऐसे दिशानिर्देशों का पूर्णतः

पालन होना चाहिए क्योंकि अधिनियम में निहित प्रावधान बहुत कड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि स्थायी निर्देश क़ानून के प्रावधानों के तहत जारी नहीं किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का विचार था कि ऐसे निर्देश कानूनी स्वीकृति खने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और इसलिए, जांच एजेंसी की ओर से ऐसे दिशानिर्देशों की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

17. जिस तरह से नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है और नष्ट नहीं किया गया है, उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो पूरे समाज के लिए खतरनाक होगी। जहाँ तक अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप का संबंध है, स्थायी निर्देशों में कानून के प्रावधानों के इतने बड़े उल्लंघन के साथ, हम अपने मन में एक लंबे समय से संदेह रखते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष सही पक्ष के साथ आया है और क्या अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को पूरी तरह से साबित किए बिना विचारण अदालत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में उचित थी।

18. पूर्व-उल्लिखित कारणों से, हम अपीलकर्ता के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करने के लिए सहमत नहीं हैं।

19. मजबूरन, हम दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं।

20. हमें सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता अपनी गिरफ्तारी की तारीख से हिरासत में।उसे निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक न हो या किसी अन्य वाद में हिरासत में न रखा जाए तो उसे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए।

21. अपील स्वीकार की जाती है।

22. निर्णय की एक प्रति अभिलेख और अनुपालन के लिए संबंधित जेल के अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

23. इस मामले के अभिलेख विचारण न्यायालय को वापस कर दिए जाएँ।

24. स्थगन से पूर्व्, हम पटना उच्च न्यायालय, विधि सेवा समिति को निर्देशदेते हैं कि वह विद्वान न्यायमित्र सुश्री सूर्या नीलांबरी को उनकी सेवाओं के लिए समेकित शुल्क के रूप में 5500/- रुपये का भुगतान करें। हम इस वाद में उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हैं।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

सुनील/ संगम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।